रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2019/वैशाख 6, 1941
No. 276] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2019/VAISAKHA 6, 1941

mujaCode

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 333(अ).—समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 7 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में निदेशक एवं सचिव के पदों पर नियुक्ति की पद्धति के विनियमन के लिए अधोलिखित नियम बनाती है, नामत: -

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, निदेशक एवं सचिव , वर्ग 'क', पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **अनुप्रयोग.**—ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वही होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं उनसे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) के अनुसार विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की है जिसका पति/पत्नी जीवित हो ; अथवा

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है;

वह उक्त पदों पर भर्ती के योग्य नहीं होगा ।

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह करना उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू निजी विधि के तहत अनुमति योग्य है और यह कि उसके पास ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो उस व्यक्ति को इस विधि का पालन करने से छूट दे सकती है ।

6 **ढील देने का अधिकार.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह अभिमत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा और लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में ढील दे सकती है ।

7. **बचत.**—इन नियमों में उल्लिखित कोई भी नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में, समय–समय पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों के लिए प्राविधानित आरक्षण, आयु सीमा में छूट अन्य अपेक्षित रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	1 (2019) (कार्य भार के आधार पर पदों की संख्या कम या अधिक हो सकती है ।)	वर्ग ' क '	स्तर 13 (रु. 123100 - 215900)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए अनुशंसित आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या पदोन्नति द्वारा या समामेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि भर्ती पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की गयी है तो पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति, आमेलन के ग्रेड जिनसे भर्ती की जाएगी ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान के वे अधिकारी जो (क) (I) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद पर हों ; या (II) जिन्होने मूल संवर्ग या विभाग में समरूप या वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु. 78,800 - 2,09,200) या समकक्ष स्तर पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पद पर पांच वर्ष की सेवा की हो । (ख) जिनके पास अधोलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव हों अर्थात : -

IndiaCode

			(i) अनिवार्य : - (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मात्स्यिकी या जैव रसायन या रसायन या खाद्य प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या प्राणि विज्ञान या समुद्री जीव विज्ञान या जलजीव शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि । (।।) जलजीव शास्त्र सहित मात्स्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नियोजन, विकास एवं तकनीकी प्रशासन का पंद्रह वर्ष का अनुभव। (ii) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से प्राणि विज्ञान या समुद्री जीव विज्ञान या जलजीव विज्ञान या जैव रसायन या रसायन या खाद्य प्रौद्योगिकी या मात्स्यिकी में डॉक्टरेट की उपाधि। **नोट 1:** इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के इसी संवर्ग में या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित)को मिलाकर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

अगर कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनके तहत संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के लिए परामर्श लिया जाना है।
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सचिव	1 (2019) (कार्य भार के आधार पर पदों की संख्या कम या अधिक हो सकती है)	श्रेणी ' ए '	स्तर 12 (रु. 78800 - 209200)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान के वे अधिकारी जो (क) (।) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद पर हों या

India2Dare

				(II) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67,700 - 2,08700) या समकक्ष स्तर पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो। (ख) जिनके पास अधोलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव हों नामत: - (i) अनिवार्य : - (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि स्नातकोत्तर की उपाधि। (।।) सामान्य प्रशासन या प्रशासन या मानव संसाधन विकास या वित्त प्रबंधन, पंजीकरण, परियोजना प्रतिपादन परियोजना मूल्यांकन परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी या स्कीमों के मूल्यांकन और स्कीमों के प्रतिपादन का 10 वर्ष का अनुभव हो (ii) वांछनीय: मात्स्यिकी में स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि **नोट 1:** इस नियुक्ति से टीक पहले केन्द्रीय सरकार के इसी संवर्ग में या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं

[फ़ा. सं. 1/11/2008-ईपी (एमपी) पीटी. IV]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2019

G.S.R. 333(E).—In pursuance of the powers conferred by the sub-section (3) of section 7 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the posts of Director and Secretary in the Marine Products Export Development Authority under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Marine Products Export Development Authority, Director and Secretary, Category 'A', Posts Recruitment Rules, 2019

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.- These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**.- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualifications**.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6 **Power to relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director	1 (2019) (subject to variation dependent on work load)	Category 'A'	Level 13 (₹ 123100 – 215900)	Not Applicable	Not Applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By deputation including short term contract	**Deputation** (including short-term contract): Officers of the Central Government/State Government/Union territory Administration or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertaking or recognized university or institute or research institution

				(A) (I) Holding analogous post on **a** regular basis in the parent cadre or Department; or (II) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 12 (₹78,800 – 2,09,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience namely:- **(i) Essential:** (I) Master's Degree in Fisheries or Biochemistry or Chemistry or Food Technology or Biotechnology or Zoology or Marine Biology or Aquaculture from a recognised university or institute; (II) Fifteen years' experience of Research, Planning, Development and Technical administration in the field of Fisheries including aquaculture. **(ii) Desirable:** Doctorate of Philosophy in Zoology or Marine Biology or Aquaculture or Biochemistry or Chemistry or Food Technology or Fisheries from a recognised Indian or Foreign university. **Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Secretary	1 (2019) (subject to variation dependent on work load)	Category 'A'	Level 12 (₹78800 – 209200)	Not Applicable	Not Applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Deputation including short term contract	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or union territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or recognized university or institute or research institution- (A) (I) Holding Analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (II) with five years' service rendered after appointment to the post on regular basis in post in the level 11 (₹67700-208700) in the pay matrix; or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience namely:- (i) **Essential**: (I) Master's Degree from a recognised university or institute; (II) Ten years' experience in general administration or administration or human resource development or finance management, registration, project formulation, project evaluation, monitoring of project implementation or evaluation of schemes and formulation of schemes. (ii) **Desirable** : Bachelors or Master's Degree in Fisheries. **Note:** Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be

IndiaCode

				exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
NA	Consultation with UPSC not necessary

[F. No. 1/11/2008-EP (MP) Pt. IV]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.04.28 14:55:29 +05'30'